भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 4001
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 09 दिसंबर, 2016/18 अग्रहायण, 1938 (शक) को दिया गया)

<u>गैर-कार्यशील कंपनियां</u>

4001. श्रीमती रेखा वर्मा:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्तर प्रदेश सहित गैर-कार्यशील कंपनियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार/राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या इन गैर-कार्यशील कंपनियों के आरओसी से आसानी से बाहर होने हेतु कोई योजना/प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो जो कंपनियां आरओसी से बाहर हो गई हैं उनका वर्ष-वार/राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम में गैर-कार्यात्मक कंपनियों की परिभाषा नहीं दी गई हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 में 'निष्क्रीय कंपनी' की परिभाषा ऐसी कंपनी के रूप में दी गई है जिसने पिछले दो वित्त वर्षों के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय या परिचालन नहीं किया है या कोई महत्वपूर्ण लेखांकन संव्यवहार नहीं किया है, या जिस कंपनी ने पिछले

दो वित्त वर्षों के दौरान वित्तीय विवरण या वार्षिक विवरणी दायर नहीं की है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में निष्क्रीय कंपनियों की राज्य/संघ शासन वार संख्या अनुलग्नक-I में दी गई है।

(ग) से (घ): कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 इसका संबंधित उपबंध है जिसे अभी अधिसूचित नहीं किया गया है) में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात यदि कंपनी रजिस्ट्रार ऐसा मानते हो, तो उन कंपनियों के नाम हटाने के प्रावधान हैं जो की व्यवसाय नहीं कर रही हैं या परिचालन में नहीं है। जून 2011 के दौरान, मंत्रालय ने निष्क्रीय कंपनियों के लिए फास्ट ट्रेक एग्जिट (एफटीई) मोड की शुरूआत की थी जिससे ये कंपनियां कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष समय-समय पर अपनी कंपनी जो अभी चल रही है, का नाम हटाने का प्रस्ताव कर सकते हैं। वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 (दिनांक 30.11.2016 तक) के दौरान नाम हटाए गए कंपनियों जिसमें एफटीई मोड का प्रयोग करने वाली कंपनियां भी शामिल है, की संख्या अनुलग्नक-II में दी गई है।

*****

अनुलग्नक-I

दिनांक 09.12.2016 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4001 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

निष्क्रीय कंपनियों की संख्या				
राज्य/संघ शासित क्षेत्र	31.03.2014 की स्थिति अनुसार	31.03.2015 की स्थिति अनुसार	31.03.2016 की स्थिति अनुसार	31.10.2016 तक
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	46	46	46	46
आन्ध्र प्रदेश	22,968	5,390	5,374	5,365
अरुणाचल प्रदेश	10	9	9	9
असम	176	174	174	173
बिहार	1,244	1,208	1,205	1,204
चंडीगढ़	1,120	1,103	1,090	1,090
छत्तीसगढ़	255	244	243	243
दादर एवं नगर हवेली	56	51	45	50
दमन एवं दीव	23	22	15	22
दिल्ली	28,564	28,179	28,076	28,066
गोवा	452	443	440	438
गुजरात	11,019	10,846	10,823	10,793
हरियाणा	2,188	2,169	2,154	2,101
हिमाचल प्रदेश	427	413	410	410
जम्मू और कश्मीर	984	978	974	972
झारखंड	635	614	611	607
कर्नाटक	8,040	7,884	7,823	7,834
केरल	2,273	2,212	2,194	2,177
लक्ष्यद्वीप	2	2	-	2
मध्य प्रदेश	1,363	1,335	1,320	1,311
महाराष्ट्र	34,704	33,919	33,717	33,598
मणिपुर	17	17	17	17
मेघालय	14	13	13	13
मिजोरम	7	7	7	7
नागालैंड	25	25	25	25
उड़ीसा	576	566	567	562
पुदुचेरी	230	228	227	227
पंजाब	2,065	2,014	2,000	2,000
राजस्थान	1,424	1,390	1,383	1,381
सिक्किम	-	-	-	-
तमिलनाडु	15,721	15,413	15,375	15,352
तेलंगाना		17,210	17,150	17,133
त्रिपुरा	5	5	5	5

उत्तर प्रदेश	4,818	4,371	4,320	4,317
उत्तराखंड	87	82	81	82
पश्चिम बंगाल	835	791	778	778
कुल योग	**1,42,373**	**1,39,373**	**1,38,691**	**1,38,410**

*****

अनुलग्नक-II

दिनांक 09.12.2016 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4001 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

जिन कंपनियों का नाम काटा गया है उनकी संख्या					
क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	31.03.2014 की स्थिति अनुसार	31.03.2015 की स्थिति अनुसार	31.03.2016 की स्थिति अनुसार	31.10.2016 तक
1.	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	5	5	5
2.	आन्ध्र प्रदेश	8,038	2,061	2,175	2,083
3.	अरुणाचल प्रदेश	234	234	235	240
4.	असम	2,630	2,644	2,684	2,714
5.	बिहार	2,278	2,410	2,624	3,250
6.	चंडीगढ़	3,601	3,933	4,110	4,185
7.	छत्तीसगढ़	984	1,017	1,070	1,085
8.	दादर एवं नगर हवेली	31	35	41	39
9.	दमन एवं दीव	51	51	50	54
10.	दिल्ली	38,674	40,977	44,165	45,393
11.	गोवा	1,177	1,227	1,263	1,346
12.	गुजरात	12,476	12,939	13,795	14,083
13.	हरियाणा	2,206	2,428	2,826	2,941
14.	हिमाचल प्रदेश	1,046	1,081	1,184	1,232
15.	जम्मू और कश्मीर	561	593	611	626
16.	झारखंड	963	1,067	1,145	619
17.	कर्नाटक	13,768	14,599	15,194	15,383
18.	केरल	8,453	8,774	9,308	9,480
19.	लक्ष्यद्वीप	-	-	-	-
20.	मध्य प्रदेश	7,109	7,298	7,694	7,851
21.	महाराष्ट्र	45,936	29,862	31,346	33,799
22.	मणिपुर	154	153	153	153
23.	मेघालय	314	316	321	329
24.	मिजोरम	53	53	53	54
25.	नागालैंड	262	261	262	263
26.	उड़ीसा	5,055	5,433	5,478	5,533
27.	पुदुचेरी	1,096	1,117	1,134	1,137
28.	पंजाब	7,852	8,405	8,645	8,766
29.	राजस्थान	6,430	6,994	7,707	8,071

30.	सिक्किम	-	-	-	-
31.	तमिलनाडु	24,535	25,383	26,585	26,753
32.	तेलंगाना	-	6,448	7,091	7,144
33.	त्रिपुरा	78	80	82	83
34.	उत्तर प्रदेश	10,680	11,111	12,129	12,209
35.	उत्तराखंड	659	743	777	775
36.	पश्चिम बंगाल	37,816	38,685	39,548	40,235
कुल योग		**2,45,205**	**2,38,417**	**2,51,490**	**2,57,913**

*****

भारत सरकार